

उक्त में उक्त पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझता हूं।

उक्त उक्त पक्षकारान को आगामी पेशी से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम शिवाड़ के पटवार मण्डल शिवाड़ बी के खाता संख्या 509 के खसरा नंबर 1047 रकबा 0.7000 है0 एवं खसरा नंबर 1052 रकबा 1.0400 है0 भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से भिजवाने हेतु स्वयं के खर्चे पर लिफाफा मय डाक टिकट 07 दिवस में न्यायालय में पेश करें। पत्रावली आगामी दिनांक 24.06.2024 को पेश हो।

24-24
24/6/2024

11/6/24

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का कार्य न्यायाधीश के द्वारा पेश किया जा रहा है। प्रार्थी प्रमाण को नमाना नहीं चाहते हैं और ना ही प्रमाण के कर्ट आगामी कार्यवाही चाहते हैं। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का कार्य न्यायाधीश को नमाना किया है।

उक्त पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझता हूं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रमाण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली केसल शुक्राद होमल नंबर

Game
11.6.2024



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर
अहकाम
की तारीख

ले कर ले एवं बाद तकमील टाबिल
वफतूर हो

du

उपखण्ड अधिकारी
धौथ का बरवाड़ा



20/11/2017
2017/11/20